खण्ड : 12 संख्या : 13, 14, 15

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वादश सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक : 19 जुलाई 1989 ई०
वृहस्पतिवार, दिनांक : 20 जुलाई 1989 ई०
शुक्रवार, दिनांक : 21 जुलाई 1989 ई०

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच कराने का एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग : (1) उत्तर नकारात्मक है। श्री पी०पी० सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 31 जुलाई 1988 को प्रभार लिया जबकि धान बीज 8 जुलाई, 1988 तथा खाद का वितरण 26 जुलाई 1988 तक किया जा चुका है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

वास्तविक कब्जा दिलाना

रा-47. श्री राम स्वरूप प्रसाद : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिला भोजपुर, थाना बक्सर अन्तर्गत थाना नं० 362, ग्राम दहिवर में चकबन्दी का काम चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि चक पर दखल दहानी के पूर्व की सारी प्रक्रिया चकबन्दी कार्यालय द्वारा पूरी की जा चुकी है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चक पर वास्तविक कब्जा दिलाने का विचार रखती है; हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग : (1) यह बात सही है कि जिला भोजपुर, थाना बक्सर अन्तर्गत मौजा दहिवर, थाना नं० 362 में सम्पुष्टि के पश्चात की कार्रवाई चल रही है।

(2) यह बात सही है कि दखल दहानी की पूर्व की सारी प्रक्रिया चकबन्दी कार्यालय, बक्सर द्वारा पूरी की जा चुकी है।

(3) अगले वित्तीय वर्ष में दखल देहानी का कार्य कराया जायेगा।

पदाधिकारी का पदस्थापन

ट-1. श्री राम स्वरूप प्रसाद : क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि परियोजना पदाधिकारी, दियारा विकास परियोजना, बिहार, पटना का पद वर्ग-1 का है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पद पर वर्त्तमान समय में वर्ग-2 के कनीय पदाधिकारी कार्यरत हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित वर्ग 2 के पदाधिकारी को हटाकर वर्ग-1 के पदाधिकारी को पदस्थापित करना चाहती है; यदि हां, तो कबतक?

प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग : (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ग-2 के पदाधिकारी अपने वेतनमान में वर्ग-1 के पद पर कार्यरत है। पदधारक से कनीय पदाधिकारी को भी अपने वेतनमान में वर्ग-1 के पद पर पदस्थापित किया गया है।

(3) उपर्युक्त आलोक में बिहार कृषि सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के मामले में कुछ प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण कई उच्च पद रिक्त हैं। प्रोन्नति के मामलों के त्वरित निष्पादन का प्रयास किया जा